



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06072020-220391  
CG-DL-W-06072020-220391

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

अधिसूचना  
(निरन्तरक राज्य)  
गृह राज्य मंत्री  
भारत सरकार  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 19] नई दिल्ली, जून 28—जुलाई 4, 2020, शनिवार / आषाढ 7—आषाढ 13, 1942  
No. 19] NEW DELHI, JUNE 28—JULY 4, 2020, SATURDAY/ASADHA 7—ASADHA 13, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

सं.का.नि. 97.—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा, 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी मंत्रालयों) भर्ती नियम, 2010, में उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का न्योत्र दिया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

में कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल(फर्राश) तथा कांस्टेबल(सफाई कर्मचारी) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसूचिवीय) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो, नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की किसी भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कांस्टेबल (दफ्तरी)	330* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसूचिवीय)	स्तर - 3 रुपये 21,700- 69,100	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक छूट अनुज्ञेय है)

				<p><b>टिप्पण :</b> आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर-नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<p><b>भर्ती की पद्धति :-</b> क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता</p>	
(7)	(8)	(9)	(10)	
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण -</b> एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण रिक्तियां होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके।  (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; तथा  (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो</p>	
प्रोन्नति से भर्ती होने अर्थात् प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन की दशा में वे जिनसे यह पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया गया है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसके क्या संरचना हैं		भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(11)	(12)		(13)	
लागू नहीं होता	<p><b>समूह "ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</b></p> <p>(i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल -अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सहायक निदेशक/उप कमांडेंट, केरिपुबल - सदस्य-I</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केरिपुबल - सदस्य-II</p>		लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कांस्टेबल (चपरासी)	528* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	स्तर - 3 रुपये 21,700-69,100	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक न हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण</b> : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्याथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण</b> : एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण रिक्तियां होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके। (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; और (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- (i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल -अध्यक्ष (ii) संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमांडेंट केरिपुबल - सदस्य- I; (iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट केरिपुबल - सदस्य -II	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कांस्टेबल (फर्राश)	65* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	स्तर -3 रूपये 21,700- 69,100	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक न हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थी के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण -</b> एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण रिक्तियां होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सके। (क) नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हो ; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) सहायक निदेशक या कमाण्डेंट, केरिपुबल - अध्यक्ष; (ii) संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमाण्डेंट, केरिपुबल - सदस्य- I (iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमाण्डेंट केरिपुबल - सदस्य -II	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय)	63 (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	स्तर - 3 रुपये 21,700-69,100	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण :</b> एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण रिक्तियां होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा। (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; तथा (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हो

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग', विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) सहायक निदेशक या कमाण्डेंट केरिपुबल -अध्यक्ष (ii) संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमाण्डेंट केरिपुबल - सदस्य- I (iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमाण्डेंट केरिपुबल - सदस्य-II	लागू नहीं।

[फा. सं. आर. नौ-1/2020-मंत्रा/सीआरपीएफ/डीए-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-2)

अधिप्रमाणित  
9/11/20  
(सि. प्र. राय)  
पु. र. मंत्री  
भारत सरकार  
नयाँ ब्लाक, नई दिल्ली

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th June, 2020

**G.S.R. 97.**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Recruitment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person, —  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Constable (Daftry)	330* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial)	Level-3 in the pay matrix Rs.21,700-69,100	Not applicable	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time ). <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government. (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> (1) Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force - Chairman;	Not applicable.



	(2) Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force (3) Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force	-Member-I ; -Member II.
--	--	----------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Constable (Peon)	528* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group- 'C', Non- Gazetted (Ministerial)	Level-3 in the pay matrix Rs.21,700- 69,100	Not applicable	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time ). <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government. (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> (1) Assistant Director or Commandant , Central Reserve Police Force -Chairman; (2) Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force -Member-I; 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force -Member II.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Constable (Farash)	65 * (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group- 'C', Non- Gazetted (Ministerial)	Level-3 in the pay matrix Rs.21,700- 69,100	Not applicable	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the

					closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government. (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> (1) Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force - Chairman; (2) Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force -Member-I; (3) Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force -Member II.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Constable (Safai Karmachari Ministerial)	63* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial)	Level-3 in the pay matrix Rs.21,700-69,100	Not applicable	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep.

(7) Matriculation from a recognised Board	(8) Not applicable	(9) Two years	(10) By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government. (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).
(11) Not applicable	(12) <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> (1) Assistant Director or Commandant , Central Reserve Police Force (2) Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force (3) Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force - Chairman; -Member-I; -Member II.		(13) Not applicable.

[ F. No. R.IX-1/2020-Min/CRPF/DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.-II)